न्यायालय उप जिला कलक्टर, सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम:– मूलचन्द लूणिया (आर0 ए0 एस0)
प्रार्थना पत्र संख्या:– 22 / 2024
दायर दिनांक:– 18–06–2024
निर्णय दिनांक:– 09–07–2025

उनवान

1. जालेन्द्र पुत्र नानगा
2. प्तासी पुत्र नानगा
3. पप्पू पुत्र नानगा
4. मीरा पुत्री कन्हैया
5. रमेश पुत्र महादेवा
6. राजेन्द्र पुत्र महादेवा
7. रामकरण पुत्र नानगा
8. रामखिलाडी पुत्र बुद्धा
9. रामस्वरूप पुत्र बुद्धा
10. रामवतार पुत्र महादेवा
11. जम्बुरी पत्नि रामखिलाडी
12. लछमा पत्नि रामस्वरूप

समस्त जाति मीना निवासी पुरोहिता का बास तहसील कुण्डल जिला दौसा।

––(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सैंथल जिला दौसा।
2. लालाराम पुत्र धन्नाराम
3. पूरण मल पुत्र धन्नाराम
4. लक्ष्मा देवी पत्नी जगदीश
5. सम्पति पत्नी मंगलराम
6. तोफली पत्नी हनुमान
7. नैना देवी पत्नी नरसी
8. जगदीश पुत्र हरसहाय
9. जगदीश पुत्र हरसहाय
10. लोहडी राम पुत्र हरसहाय

समस्त जाति मीना निवासी कालीपहाडी पुरोहितों का बास, लाटला की ढाणी तहसील कुण्डल जिला दौसा

––(अप्रार्थी)

उपस्थिति :– 1–श्री योगेश जाखड अधिवक्ता–––(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 128 एल आर एक्ट
सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय

दिनांक:– 09–07–2024

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पुरोहितों का बास तसहील कुण्डल में आराजी खसरा नम्बर 2784, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2806, 2830 व 2831 कुल किता 9 कुल रकबा 6.3500 है0 एवं खसरा नम्बर 2834, 2840, 2843, 2844, 2845 व 2846 कुल किता 6 कुल रकबा 2.1100 है0 स्थित है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त अराजियात की प्रार्थीगण ने दिनांक 16.06.2023 को पैमाईश भी करा ली इसके बावजूद भी आसपास के खातेदार अनावश्यक रूप से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है। इस कारण व अन्य सुरक्षा के लिए प्रार्थीगण पत्थरगढी कराना चाहते है। तहसीलदार कुण्डल को आदेश फरमाया जावे कि वो ग्राम पुरोहितो का बास तहसील कुण्डल जिला दौसा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2784, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2806, 2830 व 2831 कुल किता 9 कुल रकबा 6.3500 है0 एवं खसरा नम्बर 2834, 2840, 2843, 2844, 2845 व 2846 कुल किता 6 कुल

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

रकबा 2.1100 है0 की राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से उक्त भूमि की वास्तविक पैमाइस कर भूमि के चारो तरफ सीमाओं पर पत्थरगढी के निशान कायम कर पत्थर गाढे ताकि कोई सीमाओं सम्बन्धि विवाद ना रहे। न्यायालय श्रीमान को धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पत्थरगढी के आदेश देने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.05.2025 पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/529 पेश की गई। जिसके अनुसार तहसीलदार सैंथल ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 राजस्व ग्राम पुरोहितो का बास तहसील कुण्डल के खसरा नम्बर 2784, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2806, 2830 व 2831 कुल किता 9 कुल रकबा 6.32 है0 खातेदार जालेन्द्र पुत्र नानगा, रमेश पुत्र महादेवा, रामखिलाडी पुत्र बुद्धा वगै0 मुताबिक जमाबंदी तथा खसरा नम्बर 2834, 2840, 2843, 2844, 2845 व 2846 कुल किता 6 कुल रकबा 2.11 है0 खातेदार जम्बुरी पत्नि रामखिलाडी वगै0 मुताबिक जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है। चरण संख्या 2 यह है कि उक्त खसरान का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। चरण संख्या 3 यह है कि उक्त खसरान पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। चरण संख्या 4 यह है कि उक्त भूमि मौके पर खाली है।

प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का आधोपान्त अध्ययन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैंथल को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 2784, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2806, 2830 व 2831 कुल किता 9 कुल रकबा 6.32 है0 तथा खसरा नम्बर 2834, 2840, 2843, 2844, 2845 व 2846 कुल किता 6 कुल रकबा 2.11 है0 स्थित वाके ग्राम पुरोहितों का बास तहसील कुण्डल जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियों/गिरदावरो की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारो को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें। अगर पुलिस जाब्ता की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार, सैंथल को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मूलचन्द लूणिया (आर0 ए0 एस0)
उप जिला ~~कलक्टर~~ उपखण्ड अधिकारी
सैंथल दौसा। सैंथल